न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 94/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 03.08.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/234

वादी
मादुराम पुत्र नेमाराम जाति सीरवी निवासी बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादीगण
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 08.01.2025

वादीगण की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद बिराटियाखुर्द पटवार हल्का बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर जिला पाली मे खसरा नम्बर 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 466 व 467 कुल खसरान 09 का कुल रकब 6.7905 हैक्टेयर व खसरा नं. 396, 397, 409, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 564/2117, 700 कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.7619 हैक्टेयर व खसरा नं. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 666, 667, 669, 670, 69 व 96 कुल खसरा 15 कुल रकबा 51.0228 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के दादा मोती पुत्र राजी के नाम से दर्ज चली आ रही थी। तथा सम्वत् 2033 से 2034 मे वादी के दादा मोती पुत्र राजी का निधन हुआ तथा जरीये फौतेदगी नामान्तरण मे वादी के पिताजी नेमाराम का नाम घर पर स्नेहवंष बचपन मे नीम्बा कहकर पुकारते थे तथा उसी अनुसार उपरोक्त खातेदारी मे नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना वादी के पिताजी का नाम रेकर्ड मे दर्ज हो गये ।तब से वादी के पिताजी के ये गलत नाम राजस्व रेकर्ड के जमाबंदी इत्यादि मे आज तक गलत चले आ रहे हैं जबकि वादी के पिता के अन्य सभी दस्तावेजो (वोटर आई डी कार्ड , आधार कार्ड व अन्य तमाम दस्तावेज) मे नेमाराम पुत्र मोती दर्ज चला आ रहा है। जिसे संशोधन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी के पिताजी नेमाराम पुत्र मोती जी की मृत्यु दिनांक 22.12.2021 को हो गई तथा जब वादी अपने पिताजी के फोतेदगी नामान्तरण करवाने हेतु हल्का पटवारी महोदय के पास गया तो वादी के पिताजी के ये गलत नाम दर्ज होने से फौतेदगी नामान्तरणकरण नही भरा गया। वादी के आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजो मे मादुराम पुत्र नेमाराम नाम अंकित है सिर्फ उक्त घर के बोलते नाम से उपरोक्त जमाबदीयो मे नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना गलत नाम अंकित हो गया है जिसे संषोधन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी बाहर रहता था , उसने यही सोचा की उसके पिताजी नेमाराम सही नाम जमाबन्दी मे सही होगा किन्तु वर्तमान मे वादी जब गांव आया तथा जमाबन्दीयो दिनांक 04.07.2022 को प्राप्त की तब देखा की उसके पिताजी का नाम जमाबन्दी मे नेमाराम की जगह बोलता नाम नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना नाम दर्ज है। जो नाम दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। इसलिये वादी के पास खातेदारी मे रेकर्ड मे अपना पिताजी का नाम सही कराने हेतु श्रीमान न्यायालय के अलावा कोई विकल्प षेश नही होने पर उक्त घोषणा का वाद श्रीमान न्यायालय मे पेश है। वादी के पिताजी का नाम नेमाराम है किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना आने से भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। वादी को भुमि को उपजाऊ बनाने हेतु फौतेगदी नामान्तरणकरण करने, बैंक से लोन लेने, फसल बीमा कराने , बीमा कि राशि प्राप्त करने अन्य काश्त मुतालिक कार्य करने मे भारी परेशानियो का सामना करना पडा रहा है जिससे वादी को रूपयो पैसो से ना आके जाने वाली असहनीय व अपुर्णीय क्षति हो रही है व वादी को अपने अधिकारो कि सुरक्षा के लिये श्रीमान न्यायालय के अलावा को विकल्प शेष नही रहने के कारण से यह घोषणा का वाद सही नाम अमल दरामद करने का श्रीमान के समक्ष पेश है। डिक्री बहक वादी विरूद प्रतिवादी इस आशय कि फरमावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद बिराटियाखुर्द पटवार हल्का बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर जिला पाली मे खसरा नम्बर 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 466 व 467 कुल खसरान 09 का कुल रकबा 6.7905 हैक्टेयर व खसरा नं. 396, 397, 409, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 564/2117, 700 कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.7619 हैक्टेयर व खसरा नं. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 666, 667, 669, 670, 69 व 96 कुल खसरा 15 कुल रकबा 51.0228 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड व नामान्तरण मे नाम नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नैना हटा कर उसकी जगह नेमाराम अंकित किया जावे अर्थात नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना कि जगह नेमाराम पुत्र मोती नाम घोषित फरमावे। दस्तावेजात् एंव राजस्व रेकर्ड मे संशोधन किया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/राजस्व/2024/2010 दिनांक 26.11.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली हों जिसमें वर्तमान राजस्व रेकर्ड ग्राम बिराटिया खुर्द में स्थित आराजी खसरा नम्बर 454/2, 455 से 459, 465 से 467 कुल खसरे 09 कुल रकबा 6.7905 हैक्टेयर में नीम्बा पुत्र मोती खसरा नम्बर 57 से 65,69,666,667,669,670 कुल कीता 15 कुल रकबा 51.0228 हैक्टेयर में नीम्बाराम पुत्र मोती खसरा नम्बर 396,397,409,559 से 564, 564/2117,700 कुल कीता 11 कुल रकबा 7.7619 हैक्टेयर में नैना पुत्र मोती कौम सीरवी सहखातेदार के रूप में दर्ज है। खसरा नम्बर 465/2, 455 से 459, 465 से 467 में-वादी के पिता का नाम नीम्बा पुत्र मोती जरिये पंजीबद्ध बेचान के दर्ज हुआ है। नामान्तकरण संख्या 220,174/05.04.1967 की प्रति संलग्न है खसरा नम्बर 57 से 65,69,666,667,669,670 में वादी के पिता का नाम नीम्बाराम पुत्र मोती जरिये पारिवारिक बंटवाडा इकरारनामा के दर्ज हुआ है। नामान्तकरण संख्या 456 383/11.5.72 की प्रति संलग्न है। खसरा नम्बर 396,397,409,559 से 564, 564/2117,700 में वादी के पिता का नाम नैना पुत्र मोती जरिये विरासत दर्ज हुआ है। नामान्तकरण संख्या 698 की प्रति संलग्न है। नवीन जमाबंदी बनाते समय लिपीकीय भूल से खसरा नम्बर 396,397,409,559 से 564,564/2117, 700 नेमा पुत्र मोती के स्थान पर नैना पुत्र मोती दर्ज हो गया। नामान्तकरण संख्या 174,383, व 698 के विवेचनानुसार व संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त वर्णित आराजी में सहखातेदार के रूप में दर्ज नीम्बा पुत्र मोती व नीम्बाराम पुत्र मोती व नैना पुत्र मोती अलग-अलग न होकर एक ही व्यक्ति है जिसका वास्तविक व सही नाम नेमाराम पुत्र मोती है। अतः उपरोक्त वर्णित आराजी में सहखातेदार के रूप में दर्ज नीम्बा पुत्र मोती, नीम्बाराम पुत्र मोती, नैना पुत्र मोती के स्थान पर नेमाराम पुत्र मोती दर्ज किया जाना उचित बताया है।

वादी अधिवक्ता ने वादी के पक्ष में वादपत्र के घोषणा के संबध में शपथ पत्र नारायण पुत्र मोती, केसाराम पुत्र हेमाराम निवासी बिराटिया खुर्द ने प्रस्तुत किया है जो संलग्न पत्रावली हों। बहस समायत की गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना हटा कर उसकी जगह नेमाराम दर्ज करने के आदेश दिये जावे हेतु निवेदन किया है।

बहस, तहसीलदार मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ के आधार पर सरहद बिराटियाखुर्द पटवार हल्का बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 466 व 467 व खसरा नं. 396, 397, 409, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 564/2117, 700 व खसरा नं. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 666, 667, 669, 670, 69 व 96 के राजस्व रेकर्ड दर्ज नाम नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना पुत्र मोती के स्थान नेमाराम पुत्र मोती नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद बिराटियाखुर्द पटवार हल्का बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 466 व 467 व खसरा नं. 396, 397, 409, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 564/2117, 700 व खसरा नं. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 666, 667, 669, 670, 69 व 96 के राजस्व रेकर्ड दर्ज नाम नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना पुत्र मोती के स्थान नेमाराम पुत्र मोती नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादी

मादुराम पुत्र नेमाराम जाति सीरवी निवासी बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय ब्यावर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैरोकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद बिराटियाखुर्द पटवार हल्का बिराटियाखुर्द तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 466 व 467 व खसरा नं. 396, 397, 409, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 564/2117, 700 व खसरा नं. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 666, 667, 669, 670, 69 व 96 के राजस्व रेकर्ड दर्ज नाम नीम्बाराम उर्फ नीम्बा उर्फ नैना पुत्र मोती के स्थान नेमाराम पुत्र मोती नाम दर्जकिये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नीज......................×................मुबलिक..............×.............बाबत्............×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.1.2025 को जारी किया गया।

गुलाब सिंह
(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	00	00
स्टाम्प वकालतनामा –	02	00	स्टाम्प हाजरी –	00	00
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –		
मुतफरिक –	02	00	मीजान	00	00
मीजान		00		00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।